प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' सैंतीस ' [ 28/3/2017]

फा0 सं0 30-01/एमवाईएएस/आरजीकेए/2015/6419 | 6428

प्रश्न सं. [ क्र. 7647 ]

भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
खेल विभाग
मिशन निदेशालय – आरजीकेए
***

कैफेटेरिया बिल्डिंग,
प्रगति विहार हॉस्टल,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली -110003
दिनांक: 05 नवम्बर, 2015

सेवा में

श्री पर्वत सिंह,
उप सचिव,
खेल और युवा कल्याण विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन,
मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल।

विषय: राजीव गांधी खेल अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 14 खेल परिसरों के निर्माण हेतु।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र स.2390/1804/2015/9 दिनांक 29.10.2015 का संदर्भ ग्रहण कराना है तथा आपका ध्यान इस मंत्रालय के परिपत्र संख्या 36-1/एमवाईएएस/पायका/2013(पीटी-1) दिनांक 23 सितम्बर, 2015, प्रति सुलभ हवाले हेतु संलग्न है, की ओर आकर्षित कराना है जिसमें सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के खेल सचिवों को आरजीकेए स्कीम के संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय से अवगत कराया गया था, जिसके लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की गई है/की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यशालाओं में विचार-विमर्श पर आधारित लंबित निर्णयों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2015-16 के दौरान प्रत्येक राज्य के ब्लॉक स्तर खेल परिसर के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को आस्थगित रखा जाए। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने तथा राज्य हिस्से के प्रबन्ध हेतु अपनी रोक लगा दें।

2. हमारे परिपत्र दिनांक 23 सितम्बर, 2015 में [redacted] की गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आरजीकेए के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 10 जिलों [redacted] पर 14 खेल परिसरों के निर्माण हेतु, आपके दिनांक 29 अक्तूबर, 2015 के प्रस्ताव पर अग्रिम कार्रवाई करना आस्थगित रखा गया है।

भवदीय

(ए.के. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक:- यथोक्त

MISSION DIRECTORATE-RGKA
ISSUED
Date

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
म.प्र. भोपाल

DEPUTY SECRETARY
Government of Madhya Pradesh
Sports & Youth Welfare Department